

47 48 49

भाग-5

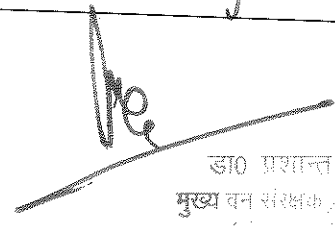
संलग्नक -

(इस वन विभाग के प्रभारी सचिव, अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अबर सचिव के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

1	राज्य सरकार की सिफारिशें	
	(उपर्युक्त भाग ख या भाग ग या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये)	Recommended for approval

दिनांक :
स्थान :

24/1/8
Lucknow



डा० प्रशान्त कुमार वर्मा
मुख्य वन संरक्षक / नाइल अधिकारी
वन (संरक्षण) अधिनियम - 1960,
उ०प्र०, लखनऊ

हस्ताक्षर
(नाम साफ अक्षरों में)
सरकारी मोहर